मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 29/1 /2016

क्रमांक एफ 5-16/2015/41-2 : राज्य शासन द्वारा रिलायंस आईडीसी लिमिटेड, मुम्बई के एस.ई.जेड. इन्दौर मध्यप्रदेश में प्रस्तावित इंटरनेट डाटा सेण्टर के निर्माण के प्रस्ताव में मॉगी गयी छूट/सुविधाओं के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

1. रिलायन्स आईडीसी लिमिटेड, मुम्बई को एसईजेड, इन्दौर (पीथमपुर) में इंटरनेट डाटा सेन्टर स्थापित करने हेतु प्रथम चरण में 40 एकड़ भूमि, सूचना प्रौद्योगिकी निवेश-नीति 2012 (यथा संशोधित-2014) के प्रावधानों के तहत आवंटित की जाये। संबंधित कम्पनी द्वारा आवंटित भूमि का पूर्ण उपयोग करने पर इंटरनेट डाटा सेन्टर के विस्तार हेतु आगामी दो वर्ष के अंदर प्रस्ताव दिये जाने की स्थिति में कम्पनी को अतिरिक्त भूमि सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति 2012 (यथा संशोधित-2014) के प्रावधानों के तहत एसईजेड, इन्दौर (पीथमपुर) में आवंटित की जायेगी। अत: दो वर्ष हेतु शेष 60 एकड भूमि आरक्षित रखी जाये।
2. इंटरनेट डाटा सेन्टर के स्वरूप को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी निवेश-नीति 2012 (यथा संशोधित-2014) के प्रावधानानुसार प्रति एकड़ 100 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने संबंधी व्यवस्था से छूट दी जाये।
3. रिलायन्स आईडीसी लिमिटेड, मुम्बई को एसईजेड, इन्दौर (पीथमपुर) में इंटरनेट डाटा सेन्टर स्थापित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी निवेश-नीति 2012 (यथा संशोधित-2014) के प्रावधानों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी निवेश संवर्धन सहायता के रूप में जमा किये गये VAT में input tax rebate और केन्द्रीय बिक्री कर (कच्चे माल के क्रय पर जमा किये गये VAT की राशि को छोड़कर) का समायोजन करने के बाद भुगतान किये गये VAT की 75% राशि 10 वर्षों तक दी जाये।
4. प्रस्तावित इंटरनेट डाटा सेन्टर में मध्यप्रदेश के मूल निवासी इंजीनियरों/आई.टी./आई.टी.ई.एस. प्रोफेशनल्स को स्किल गैप प्रशिक्षण देने में हुए व्यय की 50% राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 10000/- प्रति कर्मी होगी। यह प्रतिपूर्ति कम्पनी को केवल एक बार तथा कम्पनी द्वारा कार्य संचालन प्रारम्भ किये जाने के प्रथम दो वर्षों के भीतर नियोजित व्यक्तियों के लिए होगी।

...... 2 ....

M.P. Trade & Investment Facilitation Corporation L. (Policy) 01 FEB 2016 Inward No.

5. एसईजेड के प्रावधानों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी तथा ऊर्जा प्रभार एवं उपकर के भुगतान से छूट दी जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रसाद ढवले)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
भोपाल, दिनांक 29 /1 /2016

क्रमांक एफ़ 5-16/2015/41-2

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रीजी, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय,
3. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग / वाणिज्यिक कर विभाग / वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग / ऊर्जा विभाग,
4. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल,
6. प्रबंध संचालक, एम.पी.ट्रायफेक, भोपाल
7. प्रभारी, रिलायंस आईडीसी लिमिटेड, एच-ब्लॉक, प्रथम मंजिल, धीरूभाई अंबानी नॉलेज सीटी, नवी मुम्बई, 400710

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग